[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–13 एच०एल०ए०

हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026

बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल और इसके विन्यासों के साथ–साथ पूजास्थल से सबद्ध या आनुषंगिक भूमियों और निर्माणों के बेहतर प्रबन्धन, प्रशासन और अभिशासन के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित बाबा श्री खाटू श्याम पूजास्थल बोर्ड, चुलकाना धाम;

(ख) ''विन्यास'' से अभिप्राय है, पूजास्थल के रख–रखाव, सुधार, परिवर्धन के लिए, या में पूजार्थ या उससे संबंधित किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी गई या दान की गई चल या अचल समस्त सम्पत्ति, और इसमें पूजास्थल में स्थापित मूर्तियां, पूजास्थल के परिसर और पूजास्थल के अहाते के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया सम्पत्ति–दान और उससे सबद्ध, या आनुषंगिक भूमि और निर्माण भी शामिल हैं;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) ''मठ'' से अभिप्राय है, हिन्दू विधि के अधीन समझा जाने वाला मठ;

(ड.) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित बोर्ड का सदस्य और इसमें हिन्दू धर्म को मानने वाला सदस्य–सचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी शामिल है, यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव गैर–हिन्दू हैं, तो सरकार उसके स्थान पर हिन्दू धर्म को मानने वाले किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकती है;

(च) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) ''पुजारी'' से अभिप्राय है, पुजारी और इसमें शामिल हैं पंडित और पुरोहित या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो पूजा या अन्य अनुष्ठान करता है या आयोजित करवाता है;

(ज) ''पूजास्थल'' से अभिप्राय है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धार्मिक उद्देश्य से स्थापित बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम का पूजास्थल और बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम के परिसरों के भीतर सभी मन्दिर, मठ और मूर्तियां और इससे सबद्ध विन्यास और इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,–

(i) मन्दिर से सम्बन्धित या में पूजा और रख–रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए, उससे सम्बद्ध किसी सेवार्थ या धर्मार्थ अनुष्ठान के लिए दी हुई या दान की गई चल या अचल समस्त सम्पत्तियां; और

(ii) मन्दिर में स्थापित मूर्तियां, सजावट इत्यादि के लिए वस्त्र, आभूषण तथा अन्य वस्तुएं;

(झ) ''पूजास्थल निधि'' से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, पूजास्थल के हित के लिए उस द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई या तत्समय धारित सभी धनराशियां, और सभी विन्यास, जो पूजास्थल के हित या किसी व्यक्ति के नाम से वहां के किसी अन्य देवी–देवता के लिए, या वहां पर आने वाले तीर्थ–यात्रियों की सुविधा, आराम या हित के लिए दिए गए हैं या इसके बाद दिए जा सकते हैं, इसमें पूजास्थल में स्थित किसी भी देवी–देवता को अर्पित समस्त चढ़ावा भी शामिल है;

(ञ) ''मन्दिर'' से अभिप्राय है, किसी भी नाम से ज्ञात कोई स्थान, जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा के स्थान के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को समर्पित है, या उसके हित के लिए, या अधिकार स्वरूप उपयोग किया जाता है।

पूजास्थल निधि का निहित होना।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ से, पूजास्थल तथा पूजास्थल निधि का स्वामित्व बोर्ड में निहित होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड उसका कब्जा लेने, प्रशासन करने और उपयोग करने का हकदार होगा।

बोर्ड का गठन।

4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले बोर्ड में पूजास्थल का प्रशासन, प्रबन्धन और अभिशासन निहित होगा। बोर्ड की संरचना निम्नानुसार होगी:–

(क) मुख्य मन्त्री, हरियाणा, अध्यक्ष होगा;

(ख) कार्यभारी मन्त्री, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, उपाध्यक्ष होगा;

(ग) प्रशासकीय सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पदेन सदस्य होगा;

(घ) उपायुक्त, पानीपत, पदेन सदस्य–सचिव होगा;

(ड.) सरकार द्वारा, निम्नलिखित रीति में, सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सात व्यक्तिः–

(i) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, हिन्दू धर्म या संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो ;

(ii) ऐसी दो महिलाएं, जिन्होंने सरकार की राय में, विशेषकर महिलाओं की उन्नति के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म, संस्कृति या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगंदान दिया हो ;

(iii) ऐसे दो व्यक्ति, जिन्होंने सरकार की राय में, प्रशासन, विधिक कार्यकलापों या वित्तीय मामलों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो ;

(iv) हरियाणा राज्य का एक प्रतिष्ठित हिन्दूः

परन्तु श्री श्याम मंदिर सेवा समिति पंजीकृत चुलकाना धाम के एक प्रतिनिधि को उपरोक्त नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए या सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह इस अधिनियम की धारा 8 में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त है या प्रभावित है।

5. पूजास्थल निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा,– पूजास्थल की निधियों से व्ययों का भुगतान।

(क) मन्दिर के उचित रख–रखाव, पूजा तथा अन्य अनुष्ठान करने के लिए व्ययों के भुगतान;

(ख) दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं को सुखसाधन, सुविधाएं उपलब्ध करवाने में;

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और रख–रखाव करने में;

(घ) विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में; और

(ड.) पूजास्थल में दर्शानार्थ आए अनुयायियों, तीर्थ–यात्रियों और उपासकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करने में।

6. बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और यह उक्त नाम से वाद कर सकेगा और उस पर वाद किया जा सकेगा। बोर्ड का निगमन।

7. बोर्ड का नामनिर्दिष्ट सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा: नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि।

परन्तु उसकी पदावधि, धारा 4 के अधीन उसके नामनिर्देशन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

बोर्ड की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।

8. किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए निम्नलिखित कारणों से अयोग्य ठहराया जाएगा, यदि वह,–

(क) हिन्दू नहीं है;

(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) बोर्ड के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में पेश हो रहा है;

(ड.) किसी दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजा दी गई है, ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है;

(च) बोर्ड का पदधारी है या सेवक है;

(छ) पूजास्थल के प्रशासन में भ्रष्टाचार या कदाचार का दोषी पाया गया है;

(ज) नशीली शराब या मादक द्रव्यों का आदी है; और

(झ) उसने सरकार की राय में, पूजास्थल के हितों के विरूद्ध कार्य किया है।

बोर्ड का विघटन और अधिक्रमण।

9. (1) यदि सरकार की राय में, बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करता है या अपनी शक्तियों का अतिलंघन या गलत प्रयोग करता है, तो सरकार, सम्यक् जांच करने के बाद और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, बोर्ड का विघटन या अधिक्रमण कर सकती है और इस अधिनियम के अनुसार एक अन्य बोर्ड का पुनर्गठन कर सकती है।

(2) जहां इस धारा के अधीन बोर्ड विघटित या अधिक्रांत किया गया है, तो सरकार सभी शक्तियां धारण करेगी और तीन मास से अनधिक अवधि के लिए या अन्य बोर्ड के गठन तक, जो भी पहले हो, बोर्ड के सभी कृत्यों का निर्वहन और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।

रिक्तियों का भरा जाना।

10. (1) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति, धारा 4 में यथा उपबंधित समरूप रीति में भरी जाएगी।

(2) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस दिन को समाप्त होगी, जिस दिन उस सदस्य, जिसकी रिक्ति में नामनिर्देशन किया गया है, की पदावधि समाप्त होनी थी।

(3) बोर्ड द्वारा की गई कोई भी बात, केवल किसी आकस्मिक रिक्ति के होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

त्याग–पत्र।

11. कोई भी नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देते हुए सदस्य के रुप में अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और सरकार द्वारा उसके त्याग–पत्र की स्वीकृति की तिथि से उसका पद रिक्त हो जाएगा।

12. (1) बोर्ड अपना कार्यालय ऐसे स्थान पर बनाएगा, जैसा वह विनिश्चित करे। बोर्ड का कार्यालय और बैठकें।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) किसी बैठक में तब तक कोई भी कारबार संव्यवहारित नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों।

(4) इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रुप से उपबंधित के सिवाय, बोर्ड का प्रत्येक निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाएगा और मतों की बराबरी के मामले में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

13. (1) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को सौंपे गए कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए, बोर्ड ऐसे पदनामों, वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक तथा अनुलाभों, जो बोर्ड समय–समय पर अवधारित करे, के साथ ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझेः बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।

परन्तु उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), समालखा तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, समालखा, बोर्ड का क्रमशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अध्यधीन, बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अनुशासन भंग करने, लापरवाही, अनुपयुक्तता, कर्तव्य की उपेक्षा या कदाचार या किसी अन्य पर्याप्त कारण से स्थानान्तरित करने, निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति होगी :

परन्तु जहां अधिकारी या कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, तो उसे उसके मूल संवर्ग या विभाग में वापस भेजा जा सकता है।

(3) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

14. बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखने के दौरान, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे। लोक सेवक।

15. बोर्ड का प्रत्येक सदस्य, पूजास्थल निधि की हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग के लिए दायी होगा, यदि ऐसी हानि, फिजूलखर्ची या दुरुपयोग, सदस्य के रुप में कार्य करते हुए उसके द्वारा जानबूझकर किए गए कृत्य या चूक का प्रत्यक्ष परिणाम है, और बोर्ड द्वारा उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। सदस्य का दायित्व।

16. चल तथा अचल दोनों सम्पत्तियों और जेवर, आभूषणों, जो कभी मूर्तियों पर सुशोभित रहे हैं या पूजास्थल निधि का भाग बनने वाली किसी अविनश्वर प्रकृति की अन्य बहुमूल्य संपत्ति चल तथा अचल संपत्ति का हस्तांतरण।

का बोर्ड की सिफारिशों पर, सरकार की पूर्व स्वीकृति से हस्तांतरण, विनिमय, विक्रय या निपटान किया जाएगा।

उधार लेने या देने की शक्ति।

17. बोर्ड के संकल्प और सरकार के अनुमोदन के सिवाय, कोई भी धनराशि उधार नहीं ली या दी जाएगी।

बोर्ड के कर्तव्य।

18. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,–

(i) पूजास्थल में उचित रुप से पूजा करने की व्यवस्था करना;

(ii) तीर्थ–यात्रियों को उचित रुप से पूजा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

(iii) पूजास्थल निधियों, बहुमूल्य प्रतिभूतियों और जेवरों की सुरक्षित अभिरक्षा और परिरक्षण करने की व्यवस्था करना;

(iv) उपासकों और तीर्थ–यात्रियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कार्य करना–

(क) उनके आवास हेतु भवनों का निर्माण;

(ख) स्वास्थ्यकर संकर्मों का निर्माण; तथा

(ग) संचार साधनों में सुधार;

(v) पूजास्थल और उसके इर्द–गिर्द के क्षेत्र से सम्बन्धित विकासात्मक कार्यकलाप करवाना;

(vi) धार्मिक शिक्षण और सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;

(vii) उपासकों और तीर्थ–यात्रियों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था करना;

(viii) वैतनिक अमले को उपयुक्त परिलाभों के भुगतान के लिए उपबन्ध करना;

(ix) ऐसी सभी बातें करना, जो पूजास्थल तथा पूजास्थल निधि के साथ–साथ तीर्थ–यात्रियों की सुविधा के दक्ष प्रबन्धन, रख–रखाव और प्रशासन से आनुषंगिक और उसमें सहायक हों।

पुजारी के अधिकार तथा वर्तमान कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के निबंधन तथा शर्तें।

19. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पुजारी के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे :

परन्तु सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले किसी अधिकरण का ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में गठन कर सकती है, जो पुजारियों और बोर्ड के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रुप में सुनने के पश्चात्, उनके अधिकारों के निर्वापण के बदले में बोर्ड द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर की सिफारिशें करेगा। अधिकरण, बोर्ड को अपनी सिफारिशें करते समय, ऐसी आय, जो पुजारी प्राप्त करता था, का सम्यक् ध्यान रखेगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई पुजारी प्रतिकर का अपना अधिकार छोड़ देता है और बोर्ड में स्वयं को नियोजन के लिए पेश करता है, तो बोर्ड ऐसे नियोजन के लिए उसकी उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करेगा और यदि वह इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे ऐसे नियोजन की पेशकश कर सकता है, बशर्ते पुजारी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अनुपालन की वचनबद्धता देवे।

(2) पूजास्थल के सभी ऐसे कर्मचारी, जो पूजास्थल से सम्बद्ध किसी कार्य पर लगाए जाते हैं, जब तक वे इसके प्रतिकूल किसी विकल्प का प्रयोग नहीं करते, इस अधिनियम के प्रारम्भ से बोर्ड के कर्मचारी बने हुए समझे जाएंगे और बोर्ड के प्रशासनिक तथा अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होंगे। उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाएंगी तथा ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो यथासाध्य उनकी सेवा के पारिश्रमिक तथा अन्य निबंधन और शर्तों के वर्तमान स्तर से कम नहीं होगा।

(3) दुकानदार तथा अन्य पट्टा धारक, जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट क्षेत्र में पूजास्थल के किराएदार हैं, बोर्ड के किराएदार बन जाएंगे।

पुजारी की नियुक्ति, कार्यकाल और अन्य निबंधन तथा शर्तें।

20. (1) बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पूजास्थल के पुजारियों की नियुक्ति करेगा और ऐसी नियुक्ति करते समय, धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के दावों का सम्यक् ध्यान रखेगा, जिनके हित के लिए मुख्य रूप से पूजास्थल बनाया गया है।

(2) पुजारी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जब तक इस दौरान बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे हटा नहीं दिया जाता या पदच्युत नहीं कर दिया जाता या उसका त्याग–पत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता या अन्यथा से वह पुजारी नहीं बना रहता।

(3) पुजारी पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(4) जब पूजास्थल के पुजारी के पद की कोई स्थाई रिक्ति हो जाती है, तो बोर्ड द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पुजारी नियुक्त किया जाएगा।

(5) जब किसी पुजारी के निलंबन के कारण ऐसे पद की कोई अस्थाई रिक्ति हो जाती है, तो बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उसकी निर्योग्यता समाप्त होने तक उसके स्थान पर, किसी अन्य पुजारी की नियुक्ति की जाएगी।

निलंबित करने, हटाने या पदच्युत करने की शक्ति।

21. (1) बोर्ड या उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पुजारी को निम्नलिखित आधारों पर निलंबित, हटा या पदच्युत कर सकता है,–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की जानबूझकर की गई अवज्ञा;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में पूजास्थल या किसी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किसी अपकरण, दुष्करण, विश्वास भंग या कर्तव्य की उपेक्षा;

(ग) पूजास्थल की संपत्तियों के किसी दुविर्नियोग या अनुचित संव्यवहार;

(घ) पूजास्थल में नशीली शराब या मादक द्रव्यों के नशे की हालत में पाए जाने; तथा

(ड.) चित्त–विकृति या अन्य मानसिक या शारीरिक त्रुटि या अशक्तता, जो उसे पुजारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य बनाती है :

परन्तु किसी भी पुजारी को इस धारा के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) कोई पुजारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निलंबित, हटाया या पदच्युत किया गया है, निलंबन, हटाने या पदच्युति के आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर, ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील दायर कर सकता है।

(3) इस प्रकार निलंबित, हटाए गए या पदच्युत किए गए किसी पुजारी को ऐसा भरण–पोषण अनुज्ञात किया जाएगा, जो पूजास्थल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियत किया जाए।

पुजारी की अयोग्यताएं।

22. ऐसा व्यक्ति पुजारी के रुप में नियुक्त किए जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा,–

(क) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ग) यदि वह पूजास्थल के किसी अस्तित्वयुक्त पट्टे या किसी संपत्ति में या उससे की गई संविदा, या किए जा रहे किसी कार्य में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हित रखता है या पूजास्थल को भुगतान योग्य किसी भी देय के बकायों का देनदार है;

(घ) यदि वह पूजास्थल की ओर से या उसके विरुद्ध विधिक व्यवसायी के रुप में पेश हो रहा है;

(ड.) यदि वह दांडिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध में सजायाफ्ता है और ऐसी सजा को उलटाया नहीं गया है;

(च) यदि उसने पूजास्थल के हित के प्रतिकूल कार्य किया है;

(छ) यदि वह नशीली शराब और मादक द्रव्यों का आदी है;

(ज) यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ; तथा

(झ) यदि वह हिन्दू धर्म या उस मान्यता को छोड़ देता है या उस धार्मिक संप्रदाय से संबंध तोड़ लेता है, जिससे पूजास्थल संबंध रखता है।

रजिस्टर तैयार करना और उसका रख–रखाव करना।

23. (1) रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में तैयार किया जाएगा और बनाए रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा,–

(क) पूजास्थल के उद्‌गम तथा इतिहास और पूजास्थल के रीति–रिवाज या प्रथा के संबंध में ब्योरे ;

(ख) प्रशासन की योजना और व्यय के पैमाने के ब्योरे ;

(ग) उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम, जिनसे कोई वेतन, परिलाभ या अनुलाभ संबद्ध है तथा प्रत्येक मामले में सेवा का स्वरूप, अवधि तथा शर्तें;

(घ) पूजास्थल से संबंधित धनराशि, जेवर, रत्न, सोना, चांदी, कीमती नगीने, पात्र तथा बर्तन और अन्य चल संपत्ति और उनका वजन, संघटक तत्वों के विवरण तथा उनका अनुमानित मूल्य ;

(ड.) पूजास्थल की अचल संपत्तियों तथा सभी अन्य विन्यासों के ब्योरे तथा सभी हक विलेख तथा अन्य दस्तावेज;

(च) पूजास्थल में या उससे संबद्ध मूर्तियों तथा अन्य प्रतिमाओं के संघटक तत्वों तथा रंगीन चित्रों के विवरणों के ब्योरे, चाहे वे पूजा के लिए हों या शोभा यात्राओं में ले जाने के लिए आशयित हों;

(छ) प्राचीन या ऐतिहासिक अभिलेखों के साथ उनकी संक्षिप्त विषय–वस्तु के ब्योरे; तथा

(ज) ऐसे अन्य ब्योरे, जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों।

(2) सदस्य–सचिव द्वारा इस निमित्त नोटिस तामील करने की तिथि से तीन मास के भीतर अथवा ऐसी और अवधि, जो सदस्य–सचिव द्वारा अनुज्ञात की जाए, के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रजिस्टर तैयार, हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किया जाएगा।

(3) बोर्ड, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को रजिस्टर में ऐसे परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करने के लिए सिफारिश कर सकता है और निदेश दे सकता है, जो बोर्ड उचित समझे।

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करेगा और आदेश की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर बोर्ड को अनुमोदन के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करेगा।

रजिस्टर का वार्षिक सत्यापन।

24. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रति वर्ष या ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, रजिस्टर की प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा, तथा उसे सदस्य–सचिव के माध्यम से बोर्ड को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड उस पर ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, रजिस्टर में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन, यदि कोई हो, करने का निदेश दे सकता है।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, बोर्ड द्वारा किए गए आदेश के अनुसार आदेश की तिथि से तीन मास के भीतर उस द्वारा रखी गई रजिस्टर की प्रति में परिवर्तन, लोप या परिवर्धन करेगा।

संपत्ति तथा दस्तावेजों का निरीक्षण।

25. (1) बोर्ड का सदस्य--सचिव अथवा बोर्ड या सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पूजास्थल से संबंधित सभी चल या अचल संपत्तियों, और सभी अभिलेखों, पत्र--व्यवहार, योजनाओं, लेखों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उसके अधीन कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसके प्रशासन से संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि ऐसी सभी सहायता तथा सुविधाएं प्रदान करे, जो ऐसे निरीक्षण के संबंध में आवश्यक या समुचित रुप से अपेक्षित हों और यदि ऐसा अपेक्षित हो, तो निरीक्षण के लिए कोई ऐसी चल संपत्ति या दस्तावेज भी प्रस्तुत करे।

(2) यथा पूर्वोक्त निरीक्षण के प्रयोजनों हेतु, निरीक्षण प्राधिकारी को स्थानीय परिपाटी, रिवाज या प्रथा के अध्यधीन पूजास्थल के परिसरों में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने की शक्ति होगी।

(3) इस धारा की किसी भी बात को उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसरों या स्थल या उसके किसी भाग में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाला नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानता हो, जिससे परिसर या स्थल संबंधित है।

दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिबंध।

26. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पूजास्थल से संबंधित अचल संपत्ति के किसी भी विलेख या हस्तांतरण को तब तक रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा जब तक विलेख के साथ धारा 16 के अधीन ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति देने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति साथ नहीं लगाई हो।

विधिविरूद्ध हस्तांतरित अचल संपत्ति की वसूली।

27. (1) जब कभी बोर्ड के ध्यान में यह आता है कि पूजास्थल से संबंधित कोई अचल सम्पत्ति इस अधिनियम के उपबधों के उल्लंघन में हस्तांतरित की गई है, तो यह मामला सरकार को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए संदर्भ की प्राप्ति पर, सरकार ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संक्षिप्त जांच करेगी और संतुष्ट हो जाने पर कि कोई ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार हस्तांतरित की गई है, तो विधि के अनुसार कार्यवाही करेगी।

पूजास्थल से संबंधित भूमि तथा परिसरों के अतिक्रमण को हटाना।

28. (1) हरियाणा लोक परिसर तथा भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972 (1972 का 24) में दिए गए उपबंध, जहां तक हो सके, पूजास्थल से संबंधित किसी भूमि या परिसर के अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में लागू होंगे, मानो यह उस अधिनियम के अर्थ के भीतर सरकार की संपत्ति थी।

(2) बोर्ड का सदस्य–सचिव, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाहियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और उस पर उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करना ऐसे प्राधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा।

पूजास्थल के सरंक्षण के लिए कार्यवाही करने की शक्ति।

29. जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि –

(क) पूजास्थल से संबंधित किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति द्वारा बर्बाद किए जाने, क्षति पहुंचाए जाने या अनुचित रूप से हस्तांतरित किए जाने का खतरा है; या

(ख) ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति को हटाने या उसके निपटान की धमकी देता है, या ऐसा करना चाहता है,

तो बोर्ड का सदस्य–सचिव, ऐसी संपत्ति को बर्बाद करने, क्षति पहुंचाने, हस्तांतरित करने, विक्रय, हटाने या निपटान करने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन के लिए विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

पूजास्थल का बजट।

30. (1) बोर्ड का सदस्य–सचिव, प्रतिवर्ष दिसम्बर की समाप्ति से पूर्व, ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में पूजास्थल के आगामी वित्त वर्ष के दौरान संभावित प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हुए बजट प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त उपबंध होंगे–

(क) उस समय लागू व्यय तथा रुढ़िगत व्यय के पैमाने;

(ख) पूजास्थल पर बाध्यकारी सभी दायित्वों के सम्यक् निर्वहन;

(ग) धार्मिक, शैक्षणिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों पर व्यय, जो पूजास्थल के उद्देश्यों से असंगत न हो;

(घ) पूजास्थल के सिद्धांतों के अनुसार धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा उसके प्रसार;

(ङ) पूजास्थल के भवनों की मरम्मत तथा उनके नवीकरण और उसकी संपत्तियों और परिसंपत्तियों के परिरक्षण तथा संरक्षण पर व्यय।

(3) बोर्ड, बजट की प्राप्ति पर, उसमें ऐसे परिवर्तन, लोप अथवा परिवर्धन, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

(4) तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा किसी रिवाज, प्रथा अथवा परिपाटी में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी पदधारी के पारिश्रमिक अथवा पूजास्थल के संबंध में किसी अन्य मद के व्यय के लिए उपबन्ध किए गए हैं, तो बोर्ड द्वारा ऐसे पारिश्रमिक अथवा व्यय बढ़ाए, घटाए अथवा उपांतरित किए जा सकते हैं, यदि पूजास्थल की वित्तीय स्थिति और हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वृद्धि, घटाव अथवा उपांतरण करना आवश्यक समझा जाता है।

लेखे।

31. (1) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों के नियमित लेखों को अनुरक्षित रखेगा। ऐसे लेखे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में पृथक् रूप से रखे जाएंगे तथा उनमें ऐसे ब्योरे समाविष्ट होंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) पूजास्थल के लेखों की ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष लेखा–परीक्षा की जाएगी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 38) के अर्थ के भीतर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा–परीक्षा करने वाले प्रत्येक लेखा–परीक्षक की बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के कब्जे में अथवा नियंत्रणाधीन लेखों तथा सभी बहियों, वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा अभिलेखों तक पहुंच होगी।

शास्ति।

32. यदि पूजास्थल के प्रशासन से सम्बन्धित कोई पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी किए गए आदेशों तथा निदेशों के उपबंधों की अनुपालना करने से इनकार करता है अथवा जानबूझकर अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई किसी कार्यवाही में बाधा डालता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगी गई किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखों या अन्य जानकारी देने से इनकार करता है अथवा जानबूझकर देने में असफल रहता है,

तो बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, पुजारी, अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है तथा वह कारावास की ऐसी अवधि, जो छह मास तक की हो सकेगी तथा ऐसे जुर्माने, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

पूजास्थल से संबंधित संपत्ति के सदोष विधारण के लिए शास्ति।

33. कोई भी व्यक्ति जो–

(क) पूजास्थल से संबंधित किसी ऐसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का कब्जा, अभिरक्षा अथवा नियंत्रण रखते हुए, जिसका प्रबन्धन तथा नियंत्रण इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित किया गया है, बोर्ड अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार अथवा बोर्ड द्वारा उसका निरीक्षण करने या उसकी मांग करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, से ऐसी संपत्ति अथवा दस्तावेज अथवा लेखा बहियों का सदोष विधारण करता है; या

(ख) बोर्ड की किसी संपत्ति, दस्तावेजों अथवा लेखा बहियों का सदोष कब्जा लेता है, अथवा उन्हें रखता है अथवा उन्हें बोर्ड अथवा इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से जानबूझकर विधारित करता है अथवा प्रस्तुत करने अथवा देने में असफल रहता है;

(ग) पूजास्थल की किसी संपत्ति, दस्तावेज अथवा लेखा बहियों को गलत ढंग से हटाता है, नष्ट करता है, या विकृत करता है,

तो कारावास की ऐसी अवधि, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

34. (1) सरकार का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किए गए अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किसी सिविल अथवा दांडिक कार्यवाहियों के लिए दायी नहीं होगा, यदि कार्य सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कृत्यों के निर्वहन के अनुक्रम में किया गया है।

(2) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के फलस्वरुप हुए या होने की संभावना वाले किसी नुकसान अथवा हुई या होने की संभावना वाली किसी क्षति अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

निदेश देने की शक्ति।

35. सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड को लिखित में ऐसे सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश दे सकती है और ऐसा करते समय, बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश को विखंडित, परिवर्तित अथवा उपांतरित कर सकती है और बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनका अनुसरण करेगा।

सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति।

36. सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा इस अधिनियम के अधीन किए गए बोर्ड के निर्णय या आदेश से स्वयं को व्यथित समझने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, ऐसे आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकती है तथा उस पर ऐसा आदेश कर सकती है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, सरकार, ऐसे व्यक्ति, जिसकी ऐसे आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को, इसके जारी करने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

38. इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विवाद या मामले को ग्रहण करने या न्याय–निर्णयन करने की कोई भी अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाना है और जिसके संबंध में ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी का निर्णय अथवा आदेश अंतिम तथा निश्चायक हो।

नियम बनाने की शक्ति।

39. (1) सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकती है–

(क) धारा 13 और 19 के अधीन पूजास्थल के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;

(ख) धारा 19 के अधीन अधिकरण का गठन;

(ग) प्राधिकारी, जिसे तथा रीति, जिसमें धारा 21 के अधीन अपील की जानी है;

(घ) प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन रजिस्टर अनुरक्षित किए जाने हैं;

(ङ) धारा 24 के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टियों की संवीक्षा;

(च) रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन जांच की जानी है;

(छ) प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 30 के अधीन बजट तैयार किया जाना है तथा प्राधिकारी, जिसको प्रस्तुत किया जाना है;

(ज) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अनुरक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणों, विवरणियों के प्ररूप तथा अन्य प्ररूप तथा रीति, जिसमें ये अनुरक्षित किए जाने हैं;

(झ) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, लेखे या अन्य सूचना;

(ण) पूजास्थल की संपत्तियों और भवनों का परिरक्षण, रख–रखाव, प्रबन्धन तथा सुधार;

(ट) पूजास्थल में मूर्तियों तथा प्रतिमाओं का परिरक्षण; तथा

(ठ) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

पूजास्थल को कतिपय अधिनियमितियों का लागू नहीं होना।

40. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, किसी अन्य विधि के उपबंध, जो पूजास्थल पर लागू हो सकते हैं, वे उस पर लागू नहीं रहेंगे :

परन्तु ऐसी समाप्ति किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी–

(क) पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व;

(ख) ऐसे अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी उपचार के लिए संस्थित की गई कोई विधिक कार्यवाही; या

(ग) सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जिला पानीपत के समालखा में ग्राम चुलकाना के राजस्व सम्पदा में स्थित श्री श्याम बाबा मन्दिर (धाम) एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, जो हरियाणा एवं पड़ोसी राज्यों के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत पवित्र एवं आस्था का प्रमुख केन्द्र है। श्रद्धालु यहाँ देवता के दर्शन एवं पूजा–अर्चना कर सुख–समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते है। उक्त धाम श्री खाटु श्याम जी (प्राचीन ऐतिहासिक महाभारत में श्री बर्बरीक) के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हिंदू परम्पराओं के अनुसार कलियुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है।.

बाबा श्री खाटु श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल तथा तीर्थ मंदिर से संलग्न या आनुषंगिक भूमियों एवं भवनों सहित उसके दान का बेहतर प्रबन्धन करने, प्रशासन तथा शासन उपलब्ध कराने तथा दर्शन करने वाले भक्तों को बेहतर सुख–सुविधाएं व सहुलियतें एवं शिष्यों, तीर्थयात्रियों व उपासकों का स्वास्थ्य सुरक्षित करने, सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा बाबा श्री खाटु श्याम चुलकाना धाम पूजास्थल विधेयक, 2026 अधिनियमित करने का निर्णय किया गया है। अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

विपुल गोयल,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 21 अगस्त, 2026

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, आई.ए.एस.,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 21 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायुक्त विधान के बारे ज्ञापन

प्रत्तावित विधेयक के खण्ड 39 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन है।

12804—H.V.S.—H.G.P., Pkl.